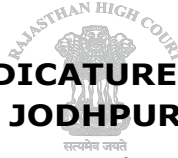




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4998/2026

1. Narendra Gurjar Alias Nenu S/o Narayanlal Gurjar, Aged About 23 Years, Resident Of Shanidev Ke Madir Ke Saamne, Snehthi, P.S. Sadar, District Chittorgarh (Raj). (Presently Lodged In Dist. Jail Chittorgarh)
2. Karan Singh S/o Govind Singh, Aged About 21 Years, Resident Of Meetharam Ji Ka Khera, pratapnagar. Currently Residing At Sengwa Housing Board, Senth, P.S. Sadar, District Chittorgarh (Raj). (Presently Lodged In Dist. Jail Chittorgarh)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vishal Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP Mr. Aslam Khan

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

08/05/2026

01. प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना सदर चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 440/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2), 109(1), 127(2), 140(3), 281 भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का तर्क है कि इस मामले में सह-अभियुक्तगण प्रभूसिंह की दिनांक 05.05.2026 को, चिराग की दिनांक 09.04.2026 को व नितेश की दिनांक 25.02.2026 को जमानत हो चुकी है। प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने में मुस्तगीस और आहत पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। इन आधारों पर प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।



04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया। विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने में अनापत्ति प्रकट की गई।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, केस डायरी का अवलोकन किया। इस मामले में सह-अभियुक्तगण प्रभूसिंह की दिनांक 05.05.2026 को, चिराग की दिनांक 09.04.2026 को व नितेश की दिनांक 25.02.2026 को जमानत हो चुकी है। प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने में मुस्तगीस और आहत पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण **01. नरेन्द्र उर्फ नैनु पुत्र नारायणलाल, 02. करण सिंह पुत्र गोविन्द सिंह** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक प्रार्थी-अभियुक्त एक-एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J